इस संबंध में चंद्रमलाई एस्टेट एरंडकुलम का प्रबंधन बनाम इसके श्रमिक और अन्य और मैकलोड एंड कंपनी लिमिटेड बनाम श्रमिक (सुप्रा) पर भरोसा किया गया है, जहां क्रमशः कंबल भत्ता और टिफिन भत्ता की अनुमति दी गई थी, लेकिन ये 'औद्योगिक' के तहत मामले हैं विवाद अधिनियम और इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं है और इस प्रकार स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं।

(21) उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास मकान किराया भत्ता का दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है और यह एक मात्र रियायत है जिसका भुगतान समय-समय पर कार्यकारी निर्देशों के तहत किया जा रहा है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को निर्देश देने वाले परमादेश की रिट के लिए कोई याचिका नहीं है। मकान किराया भत्ता भुगतान योग्य है।

(22) नतीजतन, आदेश अनुलग्नक 'पी-3 और पी-4, दिनांक 30 अगस्त, 1988 को चुनौती देने वाली सभी रिट याचिकाएं 'लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना' खारिज की जाती हैं।

आर.एन.आर

न्यायामूर्ति जी. सी. मितल और अमरजीत चौधरी, के समक्ष

शिव कुमार बागरा और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

पंचकुला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड। पंचकुला, जिला अम्बाला और अन्य,-प्रतिवादी।

सिविल रिट. 1990 की याचिका संख्या 855

27 मार्च, 1990.

हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984-एस.एस. 34 और 94—रजिस्ट्रार ने कुप्रबंधन के आरोपों में लंबित कार्यवाही की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल को निलंबित कर दिया—बोर्ड के सदस्यों को आरोपों के सबूत पर हटा दिया गया—एस. 94 सहकारी बैंकों

के लिए विशेष प्रावधान करना और समिति को हटाना। केवल तभी जब भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसा आवश्यक हो – धारा 34 के तहत समिति को हटाना अधिकार क्षेत्र के बिना है – बीमाकृत सहकारी बैंकों के मामले में, समिति को हटाना धारा 94 के अनुसार होना चाहिए – धारा 94 में गैर-अस्थिर खंड धारा 34 की प्रयोज्यता को शामिल नहीं किया गया है – भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अभाव में, बोर्ड के सदस्यों की बर्खास्तगी का आदेश अवैध है।

माना गया कि हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 की धारा 34 और 94 को पढ़ने से पता चलेगा कि यदि यह बीमाकृत सहकारी बैंक का मामला नहीं है तो अधिनियम की धारा 34 लागू होगी, लेकिन बीमाकृत बैंक के मामले में विशेष प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 94 में प्रावधान. इतना ही नहीं अधिनियम की धारा 94 में ही यह उल्लेख है कि यह बीमित सहकारी बैंक के लिए विशेष प्रावधान है। इस धारा में प्रारंभिक शब्द हैं "इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद", जिसका अर्थ बीमाकृत सहकारी बैंकों के मामले में अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद है। यदि बैंक की प्रबंध समिति या अन्य प्रबंध निकाय (चाहे जो भी नाम हो) के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता होने पर अधिनियम की धारा 94 अकेले धारा 34 के बहिष्कार पर लागू होगी। इसलिए, इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, गैर-अप्रत्याशित खंड को इस निष्कर्ष पर पहुंचते समय ध्यान में रखना होगा कि क्या अधिनियम की धारा 94 एक बीमाकृत सहकारी बैंक के मामले में अधिनियम की धारा 34 की प्रयोज्यता को बाहर करती है। मामले के इस दृष्टिकोण से, हमारी राय है कि एक बीमित सहकारी बैंक के मामले में, अधिनियम की धारा 94 में निहित विशेष प्रावधान लागू होंगे, न कि अधिनियम की धारा 34 में।

(पैरा-6&7)

माना गया कि कानून निर्माताओं ने एक बीमाकृत सहकारी बैंक के विशेष अधिकारों को ध्यान में रखा और इस कारण से एक विशेष प्रावधान बनाया जैसा कि अधिनियम की धारा 94 में निहित है, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी के खिलाफ कार्रवाई की जानी है तो ' एक बीमित सहकारी बैंक, यदि रिजर्व ब्लैंक की आवश्यकता होगी तो इसे लिया जाएगा। इस मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और इसकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 94 के तहत रजिस्ट्रार प्रबंध समिति या निदेशक मंडल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि रजिस्ट्रार द्वारा कार्यवाही शुरू करना अधिकार क्षेत्र के बिना था और निदेशक मंडल के सदस्यों के निलंबन और बर्खास्तगी के आदेश खराब हैं।

(पैरा 8 एवं 10)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका निम्नानुसार प्रार्थना करती है: -

(i) कृपया मामले के रिकॉर्ड मंगवाए जाएं;

(ii) रिकॉर्ड के अवलोकन और पक्षों के वकील की सलाह के बाद, यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित राहत देने में प्रसन्न हो सकता है: -

(क) उप रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 दिसंबर 1989 (अनुलग्नक पी-6) को रद्द करने के लिए एक रिट जारी करें।

सहकारी समितियां, कुरुक्षेत्र, प्रतिवादी नंबर 3, हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 की धारा 34 के तहत रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां हरियाणा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसके तहत पंचकुला शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पंचकुला के निदेशक मंडल को हटा दिया गया है जो पहले से ही धारा 34 के तहत निलंबित था, और सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अंबाला (पहले से नियुक्त) को एक वर्ष की अवधि के लिए या निदेशक मंडल के चुनाव तक, जो भी हो, बैंक के प्रशासक के रूप में नियुक्ति जारी रखने का आदेश दिया गया था। इनमें से जो भी पहले हो ;

(बी) एक रिट जारी करें जिसमें कहा गया है कि हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 की धारा 34 के तहत की गई कार्रवाई, जिसके तहत निदेशक मंडल को पहले निलंबित कर दिया गया था और अब हटा दिया गया है, -आक्षेपित आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है, गैरकानूनी, मनमाना, गैर-कानूनी, कानून में बुरा: और इस तरह पूरी कार्यवाही शून्य है।

iii) वह कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय तथ्यों में उपयुक्त और उचित समझ सकता है मामले की परिस्थितियाँ; और ऐसी राहत प्रदान करने के लिए जिसका याचिकाकर्ता हकदार पाया जा सकता है

iv) की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की आवश्यकता है

v) की अग्रिम सूचना तामील करने की आवश्यकता है।यहां उत्तरदाताओं पर यह याचिका कृपया हो सकती है। मामले की तात्कालिकता को देखते हुए छोड़ दिया गया;

vi) कृपया इस याचिका की लागत का भुगतान किया जाए। याचिकाकर्ता के पक्ष में और उत्तरदाताओं के खिलाफ यहां बताया गया है कि उन्हें अपने यहां पर टाले जा सकने वाले खर्च में डाल दिया गया है।

vii) आगे प्रार्थना की गई है कि लंबित मामलों की डेटिंग की जाए। इस माननीय न्यायालय में याचिका, का संचालन विवादित आदेश अनुलग्नक पी-6 पर कृपया रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ताओं के वकील एस. डी. बंसल

जी.एस. संधू, वकील, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

एस.के. सूद, डी.ए. हरियाणा, उत्तरदाताओं संख्या 2 से 4 के लिए।

आदेश

(1) रिट याचिका में शामिल मुख्य बिंदु यह है कि क्या **किसी बीमित सहकारी बैंक की प्रबंध समिति या निदेशक मंडल के सदस्यों को हटाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 94 के प्रावधानों के अनुसार, या उसके अनुसार अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के साथ। हमारा उत्तर यही है अधिनियम की धारा 94 लागू होगी।**

(2) पंचकुला शहरी सहकारी बैंक, लिमिटेड पंचकुला,**जिला अम्बाला, जो एक बीमाकृत सहकारी बैंक है (इसके बाद जिसे 'बीमाकृत बैंक' कहा जाता है), के बोर्ड द्वारा शासित किया जा रहा था निदेशक. उप रजिस्ट्रार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, - दिनांक 23 जून, 1989 के आदेश द्वारा,**प्रतिलिपि अनुलग्नक पीआई, निदेशक मंडल को निलंबित कर दिया गया **अधिनियम की धारा 34 के तहत, और सहायक रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया, सहकारी समितियाँ, अम्बाला, धारा के तहत कार्यवाही तक बैंक के मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक के रूप में**

अधिनियम के 34, जो अलग से शुरू किये जाने थे, पूरे किये गये। अनुलग्नक पी4, दिनांक 7 जुलाई, 1989 के माध्यम से, उप रजिस्ट्रार ने निदेशक मंडल को कारण बताओ नोटिस दिया।उनके काम करने के तरीके पर लगे आरोपों का ब्यौरा दिया। अनुलग्नक पी5 उत्तर है, और, आदेश अनुलग्नक पी6, दिनांक के अनुसार की धारा 34 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 दिसंबर 1989 अधिनियम, उप रजिस्ट्रार ने बोर्ड के सदस्यों को हटा दिया निदेशकों की जांच के बाद पाया गया कि सभी आरोप साबित हुए हैं। इसी आदेश से उप रजिस्ट्रार ने अनुमति दे दी सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, अम्बाला, पद पर बने रहेंगे एक वर्ष की अवधि के लिए बीमित बैंक के प्रशासक के रूप में कार्य करें या जब तक बैंक के निदेशक मंडल का चुनाव नहीं हो जाता,इनमें से जो भी पहले हो।

(3) बोर्ड के सदस्यों को पद से हटाने का आदेश इस रिट याचिका में निदेशक और निलंबन को चुनौती दी गई है। जनवरी, 1990 में दायर किया गया।

(4) जबकि अधिनियम की धारा 34 के तहत रजिस्ट्रार के पास है। संतुष्ट होने पर ऐसे व्यक्तियों को हटाने का आदेश देने का अधिकार उनके लगातार चूक या प्रदर्शन में लापरवाही के बारे में उनके कर्तव्य, अधिनियम की धारा 94 के तहत रजिस्ट्रार ऐसा कर सकते हैं। यदि रिज़र्व बैंक द्वारा सार्वजनिक हित में या जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से किए जा रहे बैंक के मामलों को रोकने के लिए या बैंक के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा आवश्यक हो।

(5) जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह विवादित नहीं है कि बोर्ड बैंक के निदेशक या प्रबंध समिति, जिसके साथ हम हैं चिंतित हैं, एक बीमाकृत सहकारी बैंक है, जबकि वकील के लिए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। बीमाधारक के मामले में ऐसी कार्रवाई करने के लिए अधिनियम की धारा 94 सहकारी बैंक, उत्तरदाताओं का रुख यह है कि धारा 34 का अधिनियम लागू होगा. विवाद की सराहना करने के लिए, दोनों प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत करना वांछनीय होगा: -

"34" समिति को हटाना.- (1) यदि की राय में रजिस्ट्रार, एक समिति लगातार चूक करती है या होती है द्वारा अपने ऊपर लगाये गये कर्त्तव्यों के पालन में लापरवाही बरतना यह अधिनियम या उपनियमों के नियम या कोई भी प्रतिबद्ध है ऐसा कार्य जो समाज के हित के प्रति प्रतिकूल हो या

इसके सदस्यों को रजिस्ट्रार समिति देने के बाद कर सकते हैं ।अपनी आपत्तियां, यदि कोई हो, बताने का अवसर आदेश द्वारा

लिखना, समिति को हटाना और नए सिरे से चुनाव का आदेश देना समिति के अनुसार या प्रशासकों की नियुक्ति करें धारा 33 के प्रावधानों के साथ।

(2)

(3)

(4) किसी सहकारी समिति के संबंध में उपधारा (1) के तहत कोई भी कार्रवाई करने से पहले, रजिस्ट्रार उस वित्तपोषण संस्थान से परामर्श करेगा जिसका वह ऋणी है।

(94) बीमित सहकारी बैंकों के लिए विशेष प्रावधान।

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के मामले में:-

(i) समापन का आदेश, या समझौता या व्यवस्था या समामेलन की योजना को मंजूरी देने वाला आदेश

या बैंक का पुनर्निर्माण (विभाजन या पुनर्गठन सहित) केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी के साथ ही किया जा सकता है;

(ii) बैंक को बंद करने का आदेश जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 13डी में निर्दिष्ट परिस्थितियों के आधार पर दिया जाएगा;

(iii) यदि सार्वजनिक हित में या जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से संचालित बैंक के मामलों को रोकने के लिए या बैंक के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक हो तो रजिस्ट्रार द्वारा एक आदेश दिया जाएगा। बैंक की प्रबंधन समिति या अन्य प्रबंध निकाय (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) को हटाने और ऐसी अवधि या अवधि के लिए प्रशासक की नियुक्ति के लिए, जो कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा कि समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, और इस प्रकार नियुक्त प्रशासक, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद, नई समिति की पहली बैठक की तारीख से ठीक पहले वाले दिन तक पद पर बना रहेगा;

(6) उपरोक्त दोनों प्रावधानों को पढ़ने से पता चलेगा कि यदि यह बीमाकृत सहकारी बैंक का मामला नहीं है तो अधिनियम की धारा 34 लागू होगी, लेकिन बीमित बैंक के मामले में अधिनियम की धारा 94 में विशेष प्रावधान है। इतना ही नहीं अधिनियम की धारा 94 में ही यह उल्लेख है कि यह बीमित सहकारी बैंक के लिए विशेष प्रावधान है। इस धारा में प्रारंभिक शब्द हैं "इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद", जिसका अर्थ है कि अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद, बीमाकृत सहकारी बैंकों के मामले में, अधिनियम की धारा 94 अकेले ही लागू होगी। यदि बैंक की प्रबंध समिति या अन्य प्रबंध निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक हो तो धारा 34 का बहिष्कार। इसलिए, इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, गैर-अप्रत्याशित खंड को इस निष्कर्ष पर पहुंचते समय ध्यान में रखना होगा कि क्या अधिनियम की धारा 94 एक बीमाकृत सहकारी बैंक के मामले में अधिनियम की धारा 34 की प्रयोज्यता को बाहर करती है।

(7) मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि बीमित सहकारी बैंक के मामले में, अधिनियम की धारा 94 में निहित विशेष प्रावधान लागू होंगे, न कि अधिनियम की धारा 34 में।

(8) कानून निर्माताओं ने एक बीमाकृत सहकारी बैंक के विशेष अधिकारों को ध्यान में रखा और इस कारण से एक विशेष प्रावधान बनाया जैसा कि अधिनियम की धारा 94 में निहित है, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी बीमित सहकारी बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जानी है , यदि रिजर्व बैंक को आवश्यकता होगी तो यह कदम उठाया जाएगा। इस मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और इसकी अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 94 के तहत रजिस्ट्रार प्रबंध समिति या निदेशक मंडल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है।

(9) इसलिए, अधिनियम की धारा 34 के तहत की गई कार्रवाई क्षेत्राधिकार के बिना है। भले ही उप रजिस्ट्रार ने उल्लेख किया था कि वह अधिनियम की धारा 94 के तहत कार्रवाई कर रहा था, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसकी आवश्यकता के बिना, यह अधिकार क्षेत्र के बिना होता।

(10) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, हम रिट याचिका और रद्दीकरण आदेश अनुलग्नक पी-6 को लागत के साथ स्वीकार करते हैं, जो रुपये में निर्धारित है। 1,000. चूंकि रजिस्ट्रार द्वारा कार्यवाही की शुरुआत क्षेत्राधिकार के बिना की गई थी, इसलिए निलंबन आदेश, अनुबंध पी-1 को भी रद्द कर दिया गया है।

(11) हालाँकि, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक हो तो यह आदेश उन्हीं आरोपों पर दोषी निदेशक मंडल के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई करने में रजिस्ट्रार के रास्ते में नहीं आएगा।

आर.एन.आर

न्यायामूर्ति जे.वी. गुप्ता,

ए.सी.जे. & एम.एस लिब्रहान, जे. के समक्ष

विक्रम स्टीयरिंग

एंड लिंकेज (प्राइवेट) लिमिटेड,

भिवानी,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा

राज्य और अन्य, - उत्तरदाताओं.

1989 की सिविल

रिट याचिका संख्या 10433

8 मई, 1990.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-राज्य वित्तीय निगम अधिनियम (1951 का 63)-धारा 32जी-धारा 32जी जैसा कि अधिनियम में पेश किया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा